[illegible] पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर धींगपुरा में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि कृष्णाराम वगैरह बजरिये तरमीम अनुरोध रहे हैं इसलिये ए.वी. करवाई फरमाया जावे। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया जमाबंदी संवत 2067-70 खाता सं. 90 के 1022, 1023, 1024 किता 3 कुल रकबा 3.53 है. मौजा धींगपुरा भूमि खातेदार की मृत्यु पश्चात उसके वारिसान शिवलाल, छोटू, रमेश, श्रवण पिता धीसा [illegible] के धीसा के वारिस 1/6 दर्ज हुआ है इस प्रकार प्रार्थी के पिता श्रवण का हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की उपधाराओं चाहता है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा नुकसान नहीं होने से अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः अप्रार्थीगण को तत्कालीन प्रभाव अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख.नं. 1022 से 1024 किता 3 कुल रकबा 3.53 है. वाके ग्राम धींगपुरा तहसील दांतारामगढ़ की आगामी पे.1 के लिये तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विपक्षी फौरन सूचना होकर नकल से कापी देकर के सम्मन हो।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ